तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 271/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/494) बअनवान श्रीमती चन्द्रा व अन्य बनाम बक्साराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

श्रीमती चन्द्रा व अन्य

बनाम

बक्साराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01 से 06
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 08

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 255/2024 अनवान बक्साराम व अन्य बनाम चन्द्रा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 24 रकबा 7.2729 हैक्टेयर, खसरा नंबर 88 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा नंबर 88/1 रकबा 3.7052 हैक्टेयर ग्राम नानण के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। उभय पक्ष अपने-अपने हक-हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपनी हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है। मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर अपीलार्थीगण के ट्यूबवेल, पानी का टांका एवं रहवासीय मकान बना हुआ है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स स्थगन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने दे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रहे है। इस कारण अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे गये, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट्स का कथन है कि उभय पक्ष अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा मौके पर काश्त कर रहे है। इस संबंध में प्रार्थीगण/ रेस्पोडेंट्स द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि उभय पक्ष अपनी सहूलियत के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को कृषि कार्य करने से रोक रहे है। विधि की मंशानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये किसी काश्तकार को काश्त करने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 271/2024(बी.सी.एम.एस. नंबर 2024/494) बअनवान श्रीमती चन्द्रा व अन्य बनाम बक्साराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं यथा- प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर अपना मत प्रतिपादित किये बिना सरसरी तौर अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना पाया जाता है। कानूनन मौके पर अपने हक-हिस्से अनुसार काबिज व्यक्ति/सहखातेदार के विरुद्ध अनावश्यक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2024 अपास्त किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर